समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

OBC क्रीमी लेयर की परिभाषा मे बंदलाव : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षण के नियमों पर क्या पड़ेगा असर ?

Sanket Morankar Published on 12 Mar 2026

देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। हाल ही में Supreme Court of India ने OBC की **क्रीमी लेयर** तय करने के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि क्रीमी लेयर निर्धारित करते समय केवल आय को ही आधार बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

यह टिप्पणी उस समय सामने आई है जब देश में आरक्षण व्यवस्था और उसके लाभार्थियों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में OBC आरक्षण के नियमों को प्रभावित कर सकती है।

भारत में OBC वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। हालांकि इस वर्ग के आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को आरक्षण का लाभ न मिले, इसके लिए **क्रीमी लेयर** की व्यवस्था लागू की गई है।

क्रीमी लेयर का मतलब उन OBC परिवारों से है जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत होती है। ऐसे परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, ताकि वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर तय करने के लिए केवल आय की सीमा तय करना पर्याप्त नहीं है। अदालत का मानना है कि किसी व्यक्ति या परिवार की सामाजिक स्थिति, पेशा और अन्य आर्थिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में केवल आय के आधार पर किसी को क्रीमी लेयर में शामिल कर देना उचित नहीं होता, क्योंकि समाज में कुछ परिवारों की स्थिति अलग-अलग परिस्थितियों के कारण भिन्न हो सकती है।

फिलहाल केंद्र सरकार ने OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा **8 लाख रुपये प्रति वर्ष** तय की हुई है। जिन परिवारों की सालाना

आय इस सीमा से अधिक होती है, उनके बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आय सीमा के अलावा अन्य सामाजिक कारकों को भी शामिल करने से क्रीमी लेयर की पहचान और अधिक सटीक हो सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में OBC आरक्षण नीति की समीक्षा का आधार बन सकती है। अगर सरकार इस दिशा में नए दिशा-निर्देश जारी करती है, तो क्रीमी लेयर तय करने का तरीका बदल सकता है।

इसका असर लाखों छात्रों और नौकरी के उम्मीदवारों पर पड़ सकता है, क्योंकि आरक्षण के लाभ पाने वालों की सूची में बदलाव संभव है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच आरक्षण नीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग मानते हैं कि क्रीमी लेयर की परिभाषा को और स्पष्ट किया जाना चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव से नई जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

फिलहाल यह मामला नीति निर्माण के स्तर पर आगे बढ़ सकता है और आने वाले समय में केंद्र सरकार इस विषय पर कोई नया निर्णय ले सकती है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.